

FORM NO.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

आज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

रतना

बनाम

कालू

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 196/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<p><u>20.5.25</u></p>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>रतना</u></p> <p>पिता श्री <u>परदा सीता</u></p> <p>निवासी- <u>पन्चुडल नं. 911</u> वृहत्सील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>पन्चुडल</u>  <u>प. ड. अममपुर</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>300/340, 301, 302 (खाता 77)</u>  <u>303, 304/350 (खाता 76)</u></p> <p>कुल कीता <u>3+2=5</u> कुल रकबा <u>1.94</u> है0 की पत्थरगडी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>पन्चुडल (अममपुर)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>300/340, 301, 302 (खाता 77) व 303, 304/350 (खाता 76)</u></p> <p>कुल कीता <u>5</u> रकबा <u>1.94</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगडी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगडी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार मात्र</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(बीनू देवन)  सहायक क्लर्क एवं  उपखण्ड अधिकारी  चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>